International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 04(I), October - December, 2022, pp. 277-279

लोकतंत्र का प्रहरीः निर्वाचन आयोग की कार्यकारी भूमिका

डॉ. पदमश्री पटनायक*

प्रस्तावना

लोकतंत्र की सफलता के लिए निर्वाचनो का संचालन स्वतन्त्र और निष्पक्ष रीति से करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाते हुए संसद के दोनों सदनो, समस्त राज्यों के विधान मण्डलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन का संचालन, निर्देशन एवं नियन्त्रण का कार्य एक स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग को सौंपा गया।[1] निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 1950 अपरान्ह से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा अब तक 13 लोकसभा, अनेक राज्यो के विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद तथा राज्यभा के अनेक द्विवार्षिक चुनावों का सफलता पूर्वक संचालन कर चुका हैं।

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का अर्थ

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, जो कि प्रजातन्त की आधारशील हैं, एक ऐसी उचित और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा शांतिपूर्ण वातावरण की मांग करते हैं, जिसमें समस्त राजनैतिक दल तथा उम्मीदवार अपने निर्वाचन कार्यक्रमों को बिना किसी बाधा और अभित्रास के और बिना किसी भय के समानता के आधार पर क्रियान्वित कर सके, जिससे मतदाता मतदान के लिए मतदान केन्द्र तक जाने के लिए निर्भय होकर तथा अपने परिजनो और सम्पत्ति को बिना जोखिम में डाले और अपने घर से बाहर निकल सके और जहां निर्वाचन अधिकारी सत्यता और निष्पक्षतापूर्वक अपना कार्य करने के लिए स्वतन्त्र हो।[2]

लोकतन्त्र के प्रहरी के रूप में निर्वाचन आयोग ने अब तक स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के लिए विभिन्न प्रयोग किए है इनमें से कुछ प्रमुख का उल्लेख यहां किया जा रहा हैः–

इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान

प्रथम दो आम चुनावों में मतपत्रो पर चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होते थे। हर उम्मीदवार के नाम की एक मतपेटी होती थी, मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में अपना मतपत्र डालकर अपना मत व्यक्त करते थे। इस प्रणाली के विषय में यह सन्देह व्यक्त किया गया कि इसमें मतपेटियो मे गडबडी किये जाने की संभावना अधिक थी। इसलिए केरल तथा उड़ीसा विधानसभा के मध्यावधि चुनावो में सन् 1960–61 में मतपत्रो को चिन्हित करने वाली प्रणाली का प्रयोग किया गया।[3] तृतीय आम चुनाव से इस प्रणाली को व्यापक स्तर पर लागू कर दिया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतपत्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के आगे मोहर लगाकर अपना मत व्यक्त करता है। नवम्बर, दिसम्बर 2004 के चार राज्यो के विधानसभा चुनावों में सफल प्रयोग के पश्चात् अब 14वी लोकसभा के आम चुनावों में मतदान कार्य इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किया जायेगा। ,

मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध करवाना

चुनावों मे पररूपधारण अर्थात एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के मत का दुरूपयोग करने की घटनाओं को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग की मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका कारण यह था कि

* सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।

इतनी बडी संख्या में मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध करवाना एक व्यवसाध्य कार्य था । इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा कठोर रूख अपनाते हुए अगस्त 1993 का निर्देश जारी कर दिये गये कि 1 जनवरी 1995 के पश्चात् कोई भी लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव बिना परिचय पत्र के सम्पन्न नहीं करवाए जायेंगे।

निर्वाचन आयोग के इन कठोर निर्देशों को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इसका 50–50 प्रतिशत व्यय वहन करने का निर्णय लिया गया किन्तु यह कार्य आज भी पूरी तरह से सम्पन्न नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने 17 जनवरी 1950 को दिये गये अपने एक निर्णय में यह मत व्यक्त किया था कि निर्वाचन आयोग किसी भी राज्य में निर्वाचन इस आधार पर स्थगित नहीं कर सकता कि सम्बन्धित राज्य सरकारो ने मतदाताओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध नहीं करवाये।[4]

आदर्श आचार संहिता का दृढतापूर्वक पालन

राजनैतिक दलो के आचरण को नियमित करने के लिए पंचम आम चुनाव के दौरान एक 12 सूत्रीय आदर्श आचार संहिता का निर्माण किया गया था। समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार सन् 1974 और 1980 में इसका विस्तार कर दिया गया।

यद्यपि इस आदर्श आचार संहिता को कोई कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, तथापि इसके समुचित अनुपालन के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक जिले में एक स्थायी समिति गठित कर दी हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं उपआयुक्त इसका अध्यक्ष होता है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो के अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय तथा पंजीकृत राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो को इसमें शामिल किया जाता है। समिति की बैठक यदि संभव हो तो रोज होती हैं।[5]

निर्वाचन के समय पर्यवेक्षको की नियुक्ति

निर्वाचन स्वतन्त्र और निष्पक्ष रीति से सम्पन्न हो रहे है अथवा नहीं इस तथ्य का पर्यवेक्षन करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों में पयवेक्षक नियुक्त किये जाते हैं। इन पर्यवेक्षको की नियुक्ति सरकार के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों में से की जाती है। इनका कार्य चुनाव क्षेत्रो मे जाकर चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना का निरीक्षण करना होता है। निर्वाचन आयोग को राजनैतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने, निर्वाचन आयोग के निर्देशो का पालन न करने, तथा मतदान और मतगणना के दौरान हुई अनियमितताओं की जानकारी इन पर्यवेक्षकों से प्राप्त होती है।

व्यापक स्तर पर पर्यवेक्षको की नियुक्ति पहली बार सन् 1980 के लोकसभा चुनावो के दौरान की गई। 1991 में इनके कार्यो का विस्तार किया गया तथा इनकी संख्या में भी वृद्धि की गई। सन् 1996 के लोकसभा के चुनावो में वीडियो टेप से सज्जित 1500 पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये थे जो निर्वाचन अभियान के साथ–साथ चुनावो में उम्मीदवारो द्वारा किये गये चुनाव व्यय का भी पर्यवेक्षन करने के लिए उत्तरदायी थे।

हमारा लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है, जहां हर चुनाव में हिंसा के कारण सैकड़ो लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ती है, जहां मतदाताओं के पास परिचय पत्र तो होते है किन्तु मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने के लिए जगह–जगह भटकना पड़ता है और फिर भी नाम न मिल पाने के कारण मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित होना पड़ता है। हमारा प्रजातन्त्र एक ऐसा प्रजातन्त्र है, जहां आज भी कुछ स्थानों पर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है और किसी अन्य दल के पक्ष में मतदान न करने पर प्रताड़ित किया जाता है।[6]

हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था पर आक्रमण करने वाली इन समस्त व्याधियों से रक्षा अकेला निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता। इसके लिए उसे राजनैतिक दलों तथा जनता के पूर्ण सहयोग की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के संगठन में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह विभिन्न राजनैतिक प्रभावों और दबावो से मुक्त होकर कार्य कर सके। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव अग्रलिखित हैः–

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में विरोधी दलो को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए और अन्य निर्वाचन आयुक्तो की नियुक्ति करते समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भी परामर्श लिया जाना चाहिए।
- निर्वाचन आयोग का व्यय संचित निधि पर आधारित हो तथा उसके सचिवालय तथा कर्मचारियों को वे ही अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जाये जो अन्य संवैधानिक संस्थाओं जैसे–संसद, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ लोकसभा आयोग के कर्मचारियों को प्राप्त है।
- निर्वाचन आयोग को यह शक्ति प्रदान की जाये कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सके कि सरकारी कर्मचारी द्वारा मतदाता सूचियो के निर्माण एवं निर्वाचन संचालन में कर्तव्य पालन में अवहेलना करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करे और उसके ऐसे निर्देश राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होने चाहिए।
- एक कानून बनाया जाना चाहिए –
  - राजनैतिक दलो को परिभाषित करने के लिए,
  - राजनैतिक दलो को अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाने, नियमित रूप से अपना हिसाब–किताब रखने तथा उसका लेख परीक्षण करवाने के संदर्भ में निर्वाचन आयोग को शक्ति प्रदान करने के लिए ।
- मतदान बूथो के बलात् ग्रहण के लिए दोषी पाये गये अभ्यार्थियों को 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।
- राजनैतिक दलो को अपने उम्मीदवारों को टिकट देते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि के ना हो।

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रतिनिधक सम्पन्न करवाने का दायित्व निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग अपने कार्यो को सफलतापूर्वक तभी कर सकता है जबकि जनता और राजनैतिक दल, जिनके लिए वह इन निर्वाचनो का संचालन करता है, उनके कार्यो में उसका सहयोग प्रदान करे। साथ ही निर्वाचन आयोग को भी इतना शक्ति सम्पन्न बनाना आवश्यक है कि वह अपने निर्देशों को सम्बन्धित पक्षो से क्रियान्वित करवा सके।[7]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 (1) भारत संविधान 1994 भारत सरकार विधि न्याय और कंपनी कार्य।
2. कुट्टी के गोविन्दन सैशन ऐन इंटीमेट स्टोरी कोणार्क पब्लिशर्स 1994
3. लोकसभा के छठे साधारण निर्वाचन तथा केरल विधानसभा के निर्वाचन की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग पृ.44
4. टाइम्स ऑफ इण्डिया 19–1–1995 पृ.
5. यू.एन.आई. ब्रेक ग्राउंडर युनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया 29–02–1996
6. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वितीय संशोधन अधिनियम 1996
7. निर्वाचन आयोग का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन अध्याय। निर्वाचन आयोग 1883–1884

❖◆❖